रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 160] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, जून 8, 1972/ज्येष्ठ 18, 1894

No. 160] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 8, 1972/JYAISTHA 18, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 8th June 1972

G.S.R. 306(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Mineral Products (Additional Duties of Excise and Customs) Act, 1958 (27 of 1958) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 128/72-Central Excises, dated the 6th May, 1972, the Central Government hereby exempts Aviation Gasolene and Aviation Turbine Fuel, falling respectively under Item Nos. 6 and 7 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and supplied to aircrafts for use as fuel, from so much

of the additional duty of excise leviable thereon, as is equivalent to the amount of duty calculated at the rate of Rs. 4.75 per kilolitre at fifteen degrees of Centigrade thermometer and Rs. 2.05 per kilolitre at fifteen degrees of Centigrade thermometer respectively; provided that—

(i) it is proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Central Excise that the said Aviation Gasolene and Aviation Turbine fuel have been so used; and

(ii) the said Aviation Gasolene and Aviation Turbine fuel are supplied to the aircrafts from the storage tank licensed as warehouse under rule 140 of the said rules.

[No. 152/72-Central Excise/F. No. 261/6/71-CX-8/CX.3.]
K. VISWANATHAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 8 जून, 1972

सा०का०नि० 306(अ).—खनिज उत्पाद (अतिरिक्त उत्पाद एंव सीमाशुल्क) अधिनियम, 1958 (1958 का 27) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 128/72-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 6 मई, 1972 को अतिष्ठित करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की क्रमशः मद सं० 6 और 7 के अन्तर्गत आने वाले, विमानन गैसोलिन और विमानन टरबाइन ईंधन को, जिनका प्रदाय वायुयानों को ईंधन के रूप में प्रयोग करने के लिए किया जाता है, उन पर उद्ग्रहणीय उतने अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है जितना क्रमशः सेंटीग्रेड थर्मामीटर की पन्द्रह डिग्री पर 4.75 रु० प्रति किलोलिटर और सेंटीग्रेड थर्मामीटर की पन्द्रह डिग्री पर 2.05 रु० प्रति किलोलिटर की दर से संगणित शुल्क की रकम के बराबर है :—

परन्तु यह तब जब कि —

(i) सहायक उत्पाद-शुल्क कलक्टर का यह समाधान हो गया है कि उक्त विमानन गैसोलिन और विमानन टरबाइन ईंधन का उस प्रकार प्रयोग किया गया है; और

(ii) उक्त विमानन गैसोलिन और विमानन टरबाइन ईंधन का प्रदाय वायुयानों को उक्त नियमों के नियम 140 के अधीन भाण्डागार के रूप में अनुज्ञप्त भण्डार-टैंक से किया गया है ।

[सं० 152/72-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/फा० सं० 261/6/6/71-सी एक्स-8/सी एक्स-3]

के० विश्वनाथन, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972